[28/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 2693]

विधानसभा अता. प्रश्न क्र. 2693 के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट "१"
दिनांक 28/7/2017
प्रश्नकर्ता - श्री के.पी. सिंह

मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 02/12/2016

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/12/2016 विभाग का नामः लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विषय : संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल की अविज्ञप्त शाखा में नियम/निर्देशों के विरूद्ध कई वर्षों से पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में।

(अतारांकित प्रश्न कमांक : 1987) श्री के.पी.सिंह

क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि –

:: प्रश्न ::

(क) संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में प्रेषित कितने कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.को निराकरण हेतु प्राप्त हुए ? कितनों का निराकरण किया गया ? कितने प्रकरण किन कारणों से निराकरण हेतु कब से विचाराधीन है ? प्रकरणों की प्राप्ति दिनांक सहित कितने प्रकरणों को संचालनालय स्तर से एवं कितने प्रकरणों को शासन स्तर से निराकरण किया जाना है ?

(ख) लम्बित प्रकरणों को कई वर्षों पश्चात भी निराकरण नहीं करने के साथ–साथ जो प्रकरण शासन स्तर से निराकरण होने हैं उन्हे संचालनालय द्वारा शासन स्तर पर नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं ? दौषी कौन हैं ?

(ग) क्या शासन के नियम/निर्देशों के विरूद्ध निर्धारित तीन वर्षों से अधिक की अवधि में एक ही शाखा स्थापना/अविज्ञप्त शाखा में कार्यरत/पदस्थ संबंधित कर्मचारी द्वारा लम्बित अवकाश प्रकरणों को एक निश्चित राशि रिश्वत के रूप में मांग अनुसार नहीं मिलने के कारण जानबूझकर रोका जा रहा है ? उक्त संबंधित कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं अविज्ञप्त शाखा में कार्यरत पदस्थापना सहित जानकारी देवें ?

(घ) क्या शासन/विभाग कई वर्षों से संचालनालय/शासन स्तर के लंबित अवकाश प्रकरणों का निराकरण निश्चित समयावधि में कराने के साथ–साथ रिश्वत नहीं मिलने के अभाव में प्रकरणों को जानबूझकर अकारण लम्बित रखने वाले दोषी अविज्ञप्त शाखा के कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल अन्यत्र शाखाओं में पदस्थ/कार्य करने हेतु निर्देश करते हुए उसके कार्यकाल की निष्पक्ष जांच कराया जाना सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

:: उत्तर ::

(क) विगत 5 वर्षों में 01 कर्मचारी का अवकाश प्रकरण क्षेत्रीय संचालक भोपाल द्वारा संचालनालय को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

(ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

(ग) जी नही। प्रश्न उपस्थित नही होता।

(घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

संचालक (विधानसभा) द्वारा अनुमोदित

29/11/2016

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश